

संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी
सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़

ब्लॉक-1, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर 492002
फोन नं. (0771) 2221640, फैक्स - 2221641, ईमेल - cgayush@gmail.com

क्रमांक STU-47/13/2025/UG Admission

नवा रायपुर, दिनांक

-:: सूचना ::-

शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु रायगढ़ मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद, कोतरलिया, रायगढ़ (छ.ग.) एवं चौकसे कॉलेज ऑफ आयुर्वेद रिसर्च सेंटर एण्ड हॉस्पिटल, लालखदान, मस्तूरी रोड, बिलासपुर के बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम तथा रायगढ़ कालेज ऑफ नेचरोपैथी, कोतरपाली, रायगढ़ (छ.ग.) के बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा फीस निर्धारित नहीं की गई है।

अतः शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु निजी क्षेत्र के आयुर्वेद महाविद्यालयों के बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम फीस रु. 1,34,700/- (एक लाख चौतीस हजार सात सौ रुपये मात्र) अभ्यर्थियों से लिया जाकर रायगढ़ मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद, कोतरलिया, रायगढ़ (छ.ग.) एवं चौकसे कॉलेज ऑफ आयुर्वेद रिसर्च सेंटर एण्ड हॉस्पिटल, लालखदान, मस्तूरी रोड, बिलासपुर के बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

इसी प्रकार निजी क्षेत्र के नेचरोपैथी महाविद्यालय श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, पारसनगर, नगपुरा, जिला-दुर्ग (छ.ग.) के बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम फीस रु. 65,800/- (पैंसठ हजार आठ सौ रुपये मात्र) अभ्यर्थियों से लिया जाकर रायगढ़ कालेज ऑफ नेचरोपैथी, कोतरपाली, रायगढ़ (छ.ग.) के बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

रायगढ़ मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद, कोतरलिया, रायगढ़ (छ.ग.) एवं चौकसे कॉलेज ऑफ आयुर्वेद रिसर्च सेंटर एण्ड हॉस्पिटल, लालखदान, मस्तूरी रोड, बिलासपुर के बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम तथा रायगढ़ कालेज ऑफ नेचरोपैथी, कोतरपाली, रायगढ़ (छ.ग.) के बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा फीस निर्धारित किये जाने पर अंतर की राशि छात्र/छात्राओं के द्वारा महाविद्यालय में जमा करना होगा।

Digitally signed by
SHIKHA RAJPUT TIWARI

Date: 29-09-2025

17/30/24 (शिक्षा) आई.ए.एस.

आयुक्त

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़